C/23

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
राजभाषा विभाग, फोर्ट एरिया, दमण / Official Language Department, Fort Area, Daman

संख्या.रा.भा. 7(10)/ न.राकास-बैठक/2013-18/107/101 दिनांक :-03/08/2018

का र्य वृ त्त / M I N U T E S

माननीय प्रशासक के सलाहकार व अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की अध्यक्षता में दिनांक 23/07/2018 को अपराह्न 04:00 बजे सचिवालय सभागार, मोटी दमण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की 33वीं बैठक का आयोजन हुआ ।

इसके ऊपरांत कार्यसूची पर मदवार समीक्षा की गई एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

मद सं-.1 **"क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में 90% पत्राचार किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना ।**

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि दमण एवं दीव 'ख' क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस संघ प्रदेश से दूसरे कार्यालयों के साथ हिन्दी में मूल रूप से 90% पत्राचार किया जाना अपेक्षित है । फिर भी कुछ कार्यालयों द्वारा इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने चाहिए । उन्होंने सभी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हिन्दी में 90% पत्राचार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करें ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-.2. **राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने के बारे में ।**

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3(3) के अनुसार जिन कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में अर्थात् केवल द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही जारी किया जाना अपेक्षित है । चर्चा के बाद सभी सदस्य अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम की धारा-(3) के अन्तर्गत आनेवाले सभी कागजातों के बारे में जानकारी दी गई ।

लिया गया निर्णय : माननीय अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3(3) के अनुसार सूचीबद्ध कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करेंगे ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं .3 **राजभाषा नियम-5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिये जाने के बारे में ।**

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि दूसरे कार्यालयों व व्यक्तियों से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में न देकर केवल हिन्दी में ही दिया जाना नियमानुसार अपेक्षित है । परंतु कुछ कार्यालय अभी भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में अंग्रेजी में दे रहे हैं ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए । उन्होंने सभी कार्यालयों को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देते हुए इस नियम के उल्लंघन से बचने की हिदायत दी ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-.5. **फाइलों पर हिन्दी में 50% टिप्पणियॉ लिखे जाने के बारे में ।**

अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 50% टिप्पणियॉ लिखी जानी चाहिए, जबकि कुछ कार्यालयों द्वारा पिछले छमाह के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयों को इस बारे में समुचित ध्यान देते हुए हिन्दी में टिप्पणी लिखने की प्रतिशतता को बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)